

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 77/2025

अनवान : -

1. सुनील कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

:--वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. मायावती पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. रचना पुत्री सोहनलाल पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:--प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वादी

श्री सतवीर वैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 23.6.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं० 135/23 के मु० न० 17 के किला न० 21/2, 22, मु० न० 18 के किला न० 18 ता 25, मु० न० 19 के किला न० 25, मु० न० 20 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, मु० न० 21 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 8, 9, 10, मु० न० 22 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 कुल रकबा 6.047 है० जिसमें नहरी 5.8220 है०, गै० मु० खाला 0.225 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं० 36/35 के मु० न० 13 के किला न० 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, मु० न० 14 के किला न० 6, 7, 14, 15, 16, 17 कुल 4.3010 है० जिसमें नहरी 3.036 है०, बारानी 1.265 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 5/68 हिस्सा, व रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं० 38/162 के मु० न० 13 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 21 कुल रकबा 1.012 है० जिसमें नहरी 0.684 है०, गै० मु० खाला 0.075 है०, बारानी 0.253 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित हैं। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 14 एएमएस व 17 एएमएस वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्विकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं० 135/23 के मु० न० 17 के किला न० 21/2, 22,

Kalpur

मु० न० 18 के किला न० 18 ता 25, मु० न० 19 के किला न० 25, मु० न० 20 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, मु० न० 21 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 8, 9, 10, मु० न० 22 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 कुल रकबा 6.047 है० जिसमें नहरी 5.8220 है०, गै० मु० खाला 0.225 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं० 36/35 के मु० न० 13 के किला न० 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, मु० न० 14 के किला न० 6, 7, 14, 15, 16, 17 कुल 4.3010 है० जिसमें नहरी 3.036 है०, वारानी 1.265 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 5/68 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी सं० 1 के साथ साथ प्रतिवादी सं० 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं० 135/23 के मु० न० 17 के किला न० 21/2, 22, मु० न० 18 के किला न० 18 ता 25, मु० न० 19 के किला न० 25, मु० न० 20 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, मु० न० 21 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 8, 9, 10, मु० न० 22 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 कुल रकबा 6.047 है० जिसमें नहरी 5.8220 है०, गै० मु० खाला 0.225 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा, रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं० 36/35 के मु० न० 13 के किला न० 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, मु० न० 14 के किला न० 6, 7, 14, 15, 16, 17 कुल 4.3010 है० जिसमें नहरी 3.036 है०, वारानी 1.265 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 5/68 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 सोहनलाल अकेले के बजाए वादी सुनील कुमार व प्रतिवादी सं० 1 सोहनलाल व प्रतिवादी सं० 3 रचना को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.6.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कल्पित शिवरान)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

सि० न० - 77/2025

अनवान : -

1. सुनील कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

:-वादीगण

बनाम

- 3 सोहनलाल पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
- 4 मायावती पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
- 5 रचना पुत्री सोहनलाल पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद गुड़ा कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही गौजा चक 17 एएमएस के खाता सं० 135/23 के मु० न० 17 के किला न० 21/2, 22, मु० न० 18 के किला न० 18 ता 25, मु० न० 19 के किला न० 25, मु० न० 20 के किला न० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, मु० न० 21 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 8, 9, 10, मु० न० 22 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 कुल रकबा 6.047 है० जिसमें नहरी 5.8220 है०, गै० मु० खाला 0.225 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 सोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा, रोही गौजा चक 14 एएमएस के खाता सं० 36/35 के मु० न० 13 के किला न० 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, मु० न० 14 के किला न० 6, 7, 14, 15, 16, 17 कुल 4.3010 है० जिसमें नहरी 3.036 है०, बरानी 1.265 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 5/68 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 सोहनलाल अकेले के बजाए वादी सुनील कुमार व प्रतिवादी सं० 1 सोहनलाल व प्रतिवादी सं० 3 रचना को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.6.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़